भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1119

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की बढ़ती कीमतें**

**1119. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री य‍ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या देश में किसान उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और बुवाई के समय उनकी अनुपलब्‍धता के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और इसकी शिकायत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की कीमतों के बढ़ने और उसकी अनुपलब्‍धता के क्‍या कारण हैं; और

(ग) देश में किसानों को उर्वरक उपलब्‍ध कराने और इनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्‍या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) में 1.11.2012 से 50 रु. प्रति टन की मामूली वृद्धि की गई थी। यूरिया का एमआरपी 1.4.2012 से 5310 रु. प्रति टन नियत किया गया था।

फास्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सरकार 1.4.2010 से पोषक तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्‍वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत राजसहायताप्राप्‍त पीएंडके उर्वरकों के प्रत्‍येक ग्रेड पर, उनमें निहित पोषक तत्‍व के आधार पर, राजसहायता की एक निश्चित राशि उपलब्‍ध कराई जाती है, जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी युक्तिसंगत स्‍तर पर नियत करने की अनुमति दी गई है।

देश तैयार उत्‍पादों अथवा इनकी कच्‍ची सामग्री के लिए पोटाश क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फास्‍फेट क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता नियत होने के कारण, अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव का पीएंडके उर्वरकों के घरेलू मूल्‍यों पर प्रभाव पड़ता है।

पीएण्‍डके उर्वरकों के मूल्‍यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान मुख्‍यत: उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में वृद्धि होने और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्‍यन के कारण वृद्धि हुई है। तथापि, देश भर में उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में पीएण्‍डके उर्वरकों के मूल्‍यों में उर्वरक कंपनियों द्वारा कुछ कमी की गई है।

-2-

**(ग):** उर्वरकों की लागत को नियंत्रण में रखने और देश में किसानों को उर्वरक उपलब्‍ध कराने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. वर्ष 2013-14 के दौरान पीएण्‍डके उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में नरमी आने के बाद उर्वरक कंपनियों को इन उर्वरकों के मूल्‍य कम करने के लिए कहा गया है।

ii. 2013-14 के लिए राजसहायता दरों की घोषणा करते समय सरकार ने इन उर्वरकों के मूल्‍यों में न्‍यूनतम कमी को भी अधिसूचित किया है।

iii. प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श से माह-वार मांग का आकलन और अनुमान लगाया जाता है।

iV. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिए गए माह-वार और राज्‍य वार आकलन के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्‍यों को पर्याप्‍त मात्रा में उर्वरक आंवटित करता है और ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली, उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के जरिए उपलब्‍धता की निरंतर निगरानी करता है तथा उर्वरक उत्‍पादकों व आयातकों को निरंतर सलाह देता है कि वे अपनी संस्‍थागत एजेसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्‍यम से रेल रैकों हेतु समय पर मांगपत्र देकर आपूर्तियों को सुप्रवाही बनाने के लिए समन्‍वय कार्य करें।

V. कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्‍त रूप से राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्‍ताहिक विडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तथा राज्‍य सरकारों द्वारा बताए गए अनुसार उर्वरक प्रेषण हेतु सुधारात्‍मक कार्रवाई की जाती है।

Vi. उर्वरक की मांग और घरेलू उत्‍पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*